Export Development Authority (APEDA) Act, 1985 (2 of 1986) read with rule 3 of the APEDA Rules, 1986, this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority"

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE RUBBER BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): Madam, I beg to move:

"That in pursuance of clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) read with rule 4(2) of the Rubber Rules, 1955, this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Rubber Board in the vacancy caused by the resignation of Shri M. M. Jacob from the membership of the said Board."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will go to the Juvenile Justice Bill, 1986. The speakers is Mr. Narayan Kar.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Madam, you have been obstructed and the speaker is unable to speak.

THE JUVENILE JUSTICE BILL, 1986—*Contd.*

*SHRI NARAYAN KAR (Tripura): Madam Deputy Chairman, in the proposed Bill some good suggestions have been made in regard to the management of juvenile delinquents and neglected children. On behalf of my Party I rise to support them. The Bill provides for a uniform law throughout the country for the trial of juvenile delinquents. It further provides that under no circumstances juvenile delinquents shall be lodged in jail or police lock-up. It has also been said in the Bill that homes and juvenile courts should be set up for the juvenile delinquents. It has again been said in the Bill that policies should be framed for the growth of health and personality of juveniles after they are protected from neglect, ignorance and torture.

Madam, we must bear in mind that we cannot change the present social system merely by passing a law. Unless we take effective steps for removing those causes which are responsible for bringing children to a wrong path we cannot hope to wipe out juvenile delinquency from this country. This Parliament has already passed many good legislations. It enacted the Dowry Prohbition Bill. But today the number of bride burning has not decreased, rather it is increasing day by day. In this manner the torture on women in various forms is on the rise despite legislations to protect their interests. Therefore, a law will just remain in the Statute Book if the Government does not provide an effective administrative machinery to implement that law. Unless the Government takes a firm policy to implement seriously a social welfare measure, nothing concrete will emerge out of that Bill. Without serious implementation, a social welfare measure is not going to benefit the concerned people in any manner. Of course, the Government can gain this publicity that it is doing something good to the people through media like press, radio and television.

Madam, the Hon. Minister, while moving the Bill, has said that a child is not a born criminal, he becomes a criminal due to neglect of duties towards him. The basic cause of juvenile delinquency lies in social, economic and political systems that we have in this country. Unless we reform those systems, a mere legislation will not help us in solving the problem of juvenile delinquency.

*English translation of the original speech deliverd in Bengali.

[Shri Narayan Kar]

Today in our country we have three croe seventy five lakhs and ninety thousand neglected children. Recently three women social scientists namely, Asha Jarne, Usha Naidu and K. R. Kapadia from the Tata Institute of Social Sciences made a survey of the abandoned children in our country. In the Survey Report they have said that growing poverty, urbanisation, industrialisation and infiltration of large number of unemployed persons into cities and towns are important factors for the growth of abandoned children in the country. Those reasons, according to them, compel neglected and abandoned children to take to a life of crime. Those social scientists visited certain localities of prostitutes in Bombay. There they have found youths visiting prostitutes to satisfy their carnal desires. Eighty youths were found in the age group of 15 years. In this manner, our youths are adopting wrong path in life. A kind of business men in big cities of India are engaging children in begging and other illegal activities for the sake of earning money. Three social scientists have made certain suggestions to the Government in their Report. They have pinpointed 'poverty' as the root cause for the creation of child labour. Due to poverty, children aged 8-9 years, are compelled to engage themselves in the struggle for existence. Poor parents want that their children should earn their bread as they are unable to feed them. The social scientists have also referred to the problem of accommodation which the poor people are facing in big cities. Unless we solve the accommodation problem of poor people in big cities, we cannot hope to improve the life of poor children.

Madam, the Hon. Minister has said that under the Bill the State Governments are entrusted with the duty of implementing various provisions of the Bill. But we find that the State Governments have been reduced to glorified 'Panchayatas and Municipalities' under the Congress (I) rule for the last thirty-six years. The State Governments are also subjected to the same political and economic systems under the rule of this Party for the last thirty-six yeads. The Bill has not provided for any finacial grant to the State Governments for implementing various provisions thereof. The State Governments are required to arrange for money to meet the expensies while implementing the vaious provisions of the Bill. But if the State Governments do not enjoy economic freedom, how can they be expected to raise their revenue? It has been said in the Bill that voluntary organisations will be involved in dealing with neglected children and juvenile delinquents. But these voluntary organisations cannot function effectively without adequate financial grants from the State Governments. I would, therefore urge upon the hon. Minister to make adequate financial grants to the State Governments so that they can fulfil the duties cast upon them under this Bill.

Thank you.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Madam Deputy Chairman, I take this opportunity to congratulate you on your election as Deputy Chaiman of this august House. And I am happy that the very first subject that we happen to discuss with you as the presiding officer of this House, is of that immense significance sa the provision of social defence to the children.

Madam, the future of nation depends upon the quality of its citizens and the values they cherish. The quality of the coming generations depends upon the well being of the children. Children are our most valuable assets, our key to the future. Wordsworth called child 'the father of man'. Shrimati Indira Gandhi said:

> "Children are a reminder of the fact that man is immortal, although may be mortal. A national realises its potentialities through its children and is judged by what it does for the children."

Children are the most vulnerable group in any society, and unhealthy social influences can destroy the natural urges of innocence and beauty in a child, Anti-social elements in an exploitative

environment can direct children into undesirable channels. To check any such malpractices and to provide for care, protection, maintenance and rehabilitation of neglected or delinquent children in the Union Territories. Parliament had earlier enacted the Children Act, 1960. Some States also had their own laws on the subject. However, as the Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, in his letter to the State Chief Ministers last year said, a very low priority had been given by various State Givernments and Union Territory Administrations in the Matter of enforcement of Children laws and rules. In its Sixty-ninth Report presented to this House on 12th May, 1986, the Committee on Subordinate Legislation of which I happened to be a Member, had stressed the need for introducing a uniform legislation for taking care of the neglected and delinquent children and to protect them from the exploitative environment.

It is indeed heartening that the Government have responded with alacrity and introduced the present Bill to provide for measures, *inter alia*, for care, development and rehabilitation of neglected and also delinquent children. *Economic compulsions* and other compulsive circumstances often make a child delinquent. He does not become so by choice. Therefore, it is imparative to adopt a reformative approach towards a delinquent juvenile and not to deal with him as any other criminal. Only then can we expect him later on to become a useful member of our society. The mandate that no juvenile accused or found guilty of having committed any offence, shall ever be kept in police custody or even in judicial lock-up, is a provision which will keep such children away from the company and pernicious influence fo hardened criminals anywhere in the country now.

The mechanism provided for adjudication and disposition of matters relating to juvenile delinquency is also not punitive, but humanistic and reformatory in nature. The association of two honorary social workers, including one woman, with the proceedings of a juvenile court will help in a better appreciation of the circumstances in which a child may have gone stray to commit any offence. However, I earnestly wish that no magistrate in the country considers his posting to a juvenile court as Kalapani, but rather as an opportunity to serve *the society in a very purposeful manner*. Also in view of the provisions of Clause 6, sub-clause (3) of the Bill special training has to be provided to them in child psychology and child welfare. This task needs to be assigned to men of dedication and commitment and not to any of the so-called training institutes which have of late mushroomed in the country.

Madam, while I appreciate the resolve of the Government to keep the juvenile delinquents away from the influence of adult offenders and criminals I also feel that it is equally important to keep the neglected children away from the juvenile dilinquents or those children who show signs of delinquency. The Bill does stipulate the establishment of juvenile homes for the neglected children and of special homes for the juveniles who are found to have committed an offence, but my reservation is regarding their being kept in observation homes along with innocent neglected children during the pendency of the proceedings before the competent authority. In this context I would refer to Clause 11 of the Bill which states:

> "The State Government may establish and maintain as many observation homes as may be necessary for the temporary reception of juveniles during the pendency of any inquiry regarding them under this Act."

My opinion in this regard is that since in the case of neglected juveniles whose matters come up before the Board, the question that has to be decided is only as to whether the child has been neglected by the lawful guardian or not; and the point that has to be decided in the matter of a delinquent who comes before the Juvenile Court is whether he is guilty of any offence or not, it would be really not wise to

[Shri Pawan Kumar Bansal]

keep all these i.e. neglected as well as the accused juveniles together in the observation homes. The neglected children before being finally found to be neglected wilfully or otherwise, should always be kept in the juvenile homes where the children are sent after a decision to the effect that the child is a neglected juvenile. May be a separate wing is created in such a home for those children, but it would definitely not be wise to keep them in the company of those children against whom there may be a serious accusation, though it is a different matter that because of the provisions of this Bill no action against such children may be taken.

Madam, while we talk of neglected children, we are painfully aware of the millions of starving children who, suffering from disease and hunger and shelterless are left mercilessly to the vagaries of nature and, for brevity I would say, miss their childhood. The Government has done well to make abundant provisions in the Bill to look after such children.

Without taking much time of the House on the subject, I only wish to emphasise that the provision of making rules has rightly been left to the various State Governments. But it must be really ensured that for framing the rules for the purpose, certain guidelines may be sent by the Central Government to State Governments so that the uniformity which was aimed at by bringing in this Bill to the Parliament may be maintained both regarding the mechanism and the infrastructure and the general approach to the problem of the children.

1.00 P.M.

The Subordinate Committee of the Rajya Sabha happened to visit some of the Children Homes and Special Schools which were constituted under the Children Act of 1960. The special homes are now equated with the special schools which were provided for under the earlier enactment. While in all fairness to the staff of those institutions, I must say that at some of the places (*Time bell rings*) I will take only one minute.

While at some of the institutions we found that the staff members did show a sense of commitment in looking after the children, but to our dismay there were also a large number of cases where children had escaped from these institutions. Now, every effort should be made to ensure that the children who are brought to these institutions do not run away from there and to achieve that object it must be ensured that congenial atmosphere is provided there, that there is no overcrowding in the institutions, that they are really looked after well and made to feel that somebody in the country and somebody in the society cares for them. One thing which again dismayed us was regarding vocational training that was sought to be given to the inmates of those institutions. While we must welcome the initiative to train the inmates of these institutions for leading a useful life in future, it must also be seen that no trade is really thrust upon a child. We did come across a case where we saw a young boy cutting hair and on a querry he told us that he was really not interested in becoming a barber. Somehow that was a trade assigned to him.

Then we also learnt that the training that they were being given was all informal and at no stage would they ever get a diploma or any certificate which would enable them to come to the job market and find a place for themselves.

Madam, because of the constraint of time, though I really wanted to refer to a large number of the provisions which in my humble opinion I felt would have been useful, but am unable to do so. We had gone in detail regarding the working of various rules. But I would say that the subject concerning children has at present been rather divided amongst various Ministries in the Government here. Well, it may be for various reasons to lay

more emphasis on that and get better results. But I think we need to approach the subject very rationally and, in fact, have an integrated approach to the question of children. I know that one may be a subject of social welfare and another may be a subject of social defence. But we have a Constitutional mandate to provide universal elementary education by a stipulated period and all the neglected children who may be in the various institutes in the country or may be outside these have to be provided education. Now we have a uniform definition of a juvenile under the present Bill. I think it would be a mandatory duty of the Government to at least ensure that all the inmates of these special homes or the juvenile homes are given both formal and where formal education is not possible, informal education so that we attain our social objects. Thank you.

डा. बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, मैं सिद्धान्त के रूप में इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

जहां तक इसको अमल में लाने का सवाल है, मैं उसके बारे में काफी आशंकाएं देखता हूं । मैं निजी तौर पर एक युवा कार्यकर्ता रहा और देश के कई राज्यों में किशोरों की समस्याओं के संदर्भ में मैंने काफी अध्ययन किया है । मैं इंग्लैंड में था 20 दिन सिर्फ जुवैनाइल डेलिनक्वेंसी का अध्ययन करने के लिए था और मुझे लगता है कि इस विधेयक में आपने जैसा कहा, मैं यहां उपस्थित नहीं था, मैं आपका भाषण पढ़कर आया हूं, आपने काफी विस्तार से जो भी सवाल इसमें उठाए हैं, उन सब को समाविस्ट करने का प्रयास जरूर किया है । लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक इसके अमल का सवाल है वहां तक एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है सारे विधेयक से कि इसमें सारी धाराएं तो नहीं बहुतांश में धाराएं राज्य सरकार के पास दे दी गयी हैं । दूसरी बात यह है कि इसकी जो व्यापकता है और इसकी जो गम्भीरता है दोनों को ध्यान में रखते हुए जितनी धन की व्यवस्था आपने रखी है वह समुचित तो छोड़ दिया जाए लेकिन काफी मात्रा में कम है । इसके लिए मुझे लगता है कि इन दोनों की बातों की तरफ आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है । अगर मैं आपको यह कहूं कि यह जो उपेक्षित या अपचारी किशोर होते हैं इनके कारणों के बारे में दुनिया में काफी संशोधन हो गये हैं । जैसे-जैसे समाज की व्यवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक और उसका सांस्कृतिक और उनका कम्युनिकेशन जैसे-जैसे बढ़ता रहता है वैसे-वैसे अधिकाधिक गहरी, अधिकाधिक काम्पलीकेटिड बनती जाती रही है । यह बात नहीं है कि सिर्फ गरीबों के जो लड़के होते हैं वे ही अपचारी होते हैं, उपेक्षित होते हैं । हमने देखा है कि धनी राष्ट्रों में हैं उनमें धन के करण भी अपचारिकता बढ़ गयी है । हमारे यहां गरीबी के कारण से होती है और वहां धन के कारण से होती है । कारणों का जहां तक सवाल है वहां तक इसमें आपको गहराई से जाना इसलिए जरूरी है, जिनको उपेक्षित कहेंगे उसकी उपेक्षता का कारण क्या है, जिन को अपचारी कहेंगे उसकी अपचारिकता का कारण क्या है यह जान सकें । आप स्वयं जानते हैं कि इसके बारे में जो कुछ भी संशोधन हुआ है उससे पता लगता है कि कम से कम 20 कारण ऐसे हैं जो बच्चों को या किशोरों को उपेक्षित रखने में मदद करते हैं या अपचारी बनाने में कार्यरत होते हैं । मैं इन कारणों की बड़ी लम्बी लिस्ट तो पेश नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह जानता हूं कि यदि ये सारे कारण हैं तो इसका मतलब यह होता है हर कारण के लिए हर एक नया उपाय लगेगा । यह बात नहीं चलेगी कि एक साथ लेकर सारे के सारे होम्स में भर दिये जायें । यह नहीं चलेगा । यह नहीं चलेगा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हर एक के कारण अलग-अलग होते हैं । आप देखें कि जिस को काम नहीं मिल रहा है, उसका, गर भी एक कारण है । यह भी देखें कि बच्चों के साथ रहने के कारण जो भी कुछ बुरी आदत पड़ती है इस तरह से सोचें । इसके हर एक के इलाज भी अलग-अलग हैं । मैं जब इंग्लैंड गया था तब किशोरों के उपर क्या

[श्री बापू कालदाते]

असर हो रहा है टी.वी. का इसका अध्ययन किया जा रहा था । मैं एक मजे की बात बताता हूं । जब वहां किशरों पर टी.वी. से क्या असर पड़ता है इसका अध्ययन हो रहा था तो यह पता लगा कि—बच्चे में जो नया देखने की, नई कल्पना, नई आशाएं खोजने की इच्छा होती है वह संस्कार भरने की क्षमता वहां के कुटुम्बों में नहीं होती है । दोनों पति-पत्नी काम पर जाते हैं और काम से लौट कर शाम को आते हैं । फिर आकर टी.वी. पर बैठते हैं । बच्चा हराभरा होता है । उसमें नई उत्सुकता होती है, नया देखने की इच्छा होती है, नई कल्पनाएं होती हैं, नई आकांक्षाएं होती हैं । पति-पत्नी दोनों आकर टी.वी. के सामने बैठ जाते हैं । The children ask: what about this? What about that? The parents say: don't talk. This has become the symbol of the family.

उसको घर में चुप बैठा सकते हैं । Then the problem arises. The boys are thrown on the roads. That is the problem.

यहां पहले ही बच्चे रास्ते पर हैं क्योंकि उनका कोई घर नहीं है । उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है. The boys are on the road. They join in agroup. Then the juvenile group starts. And then delinquency starts.

एक नहीं कई सवाल हैं । जो आधुनिकता हम ला रहे हैं इससे भी कई सवाल पैदा होंगे । मैं तो कहूंगा कि यह बहुत कम्पलीकेटिड समस्या है । इसका अगर आप को सही माने में हल ढूंढना है, इस मामले में गम्भीर है तो वित्तीय व्यवस्थाएं आपने की हैं, जो प्रोविजन आपने किये हैं उनसे काम नहीं चलेगा । इसमें आपको बहुत काम करना पड़ेगा । हर काम के लिए आपको नये-नये तरीके के लोग ढूंढने पड़ेंगे । चाहे वे मनोशास्त्री हों या अच्छे अच्छे सोशियल वर्कर्स हों, समाजशास्त्र को जानने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा । इसमें डाक्टरों की आवश्यकता नहीं है । समाजशास्त्र की जितनी शाखाएं हैं उनसे काम लेने की आवश्यकता है । मेरा सौभाग्य है कि मेरी पत्नी कई सालों से जूविनाइल कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करती रही है। अध्यापन का काम बढ़ जाने के कारण अब उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे 12–14 सालों तक यही काम करती रही हैं । उन्होंने एक किताब लिखी है—रोल आफ जूविनाइल कोर्ट्स इन डिलिक्वेन्सी । एक बात मुझे इस विधेयक में जरूर नजर आई और जरूर करनी चाहिए कि जहां तक कोर्ट का मामला है उसमें कमसे कम एक महिला मजिस्ट्रेट जरूर होनी चाहिए । हमारे महाराष्ट्र में तो जुवेनाइल कोर्ट्स में दो दो महिलाएं मजिस्ट्रेट हैं । मेरे औरंगाबाद जिले में मजिस्ट्रेट महिलाएं हैं । चाहे वे सोशियल वर्कर हों, अध्यापन के क्षेत्र की हों, उनको रखा जाना चाहिए । वे सोशियल वर्कर के साथ साथ अध्यापन का कार्य करने वाली हो सकती हैं । इस विधेयक में जो खामी मुझे लगती है वह है कि Pleader should not be allowed in the juvenile court.

वहां पर आप वकील मत भेजिये ।
This is a question of interaction. The social worker and the child should interact with each other and try to find out the reason of his delinquency.

वकीलों से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है । वे ही लोग जो बच्चे खराब नहीं हो सकते हैं उनको खराब कर सकते हैं, उनको खराब बात सिखा सकते हैं । वे बच्चों को ऐसी खराब बात सिखाने की कोशिश कर सकते हैं जो नहीं सिखाई जानी चाहिये . . . **(समय की घंटी)** । आप यहां पर पहली बार आई हैं, इसलिए जरा हम पर मेहरबानी कीजिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is only to remind you about the time factor. You may speak for another five minutes.

डा. बापू कालदाते : मेरे बारे में आप जरूर ऐसा कहेंगी, यह मैं जानता हूं । मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं ।

विधेयक तो आप लाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है । पचास से भी अधिक कानून आपने बनाये हैं । क्या उनका कहीं अमल हुआ है ? मुझे इस विषय में दिलचस्पी है । इसलिए मैं इस बारे में काफी घूमा हूं । जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें तीन सौ, साढ़े तीन सौ जिले हैं उनमें से डेढ सौ या दो सौ ही जिले होंगे जहां पर इस कानून पर अमल हुआ है । आपने इसमें लिखा है कि जेल में नहीं रखेंगे, उनको लॉक-अप में नहीं रखेंगे । लेकिन हमने खुद देखा है कि जो महिला ऑफेन्डर होती है उनकी हालत से भी बुरी हालत इन बच्चों की होती है । आप इस कानून को कैसे अमल में लाएंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है ।

My problem is this. Suppose the State Government does not take cognizance of it.

आप इसके लिए क्या करेंगे । सिर्फ संकल्प से काम नहीं चलना है । संकल्प की सिद्धि के लिए भी काम करना चाहिए । आप इस बारे में क्या करने वाले हैं, इसकी हमें बड़ी परेशानी है । इसकी क्लाज 5, 10, 11, 17, 19, 42 और 52 क्लाजेज हैं उनका संबंध राज्य सरकारों से है । बोर्ड कैसे बनेगा, राज्य सरकार करेगी, कोर्ट कैसे बनेगा, राज्य सरकार करेगी, पैसा कौन इकट्ठा करेगा, राज्य सरकार करेगी । उनके क्या अधिकार होंगे, सब राज्य सरकार करेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि फिर आप क्या करेंगे । हम लोग यहां पर बैठ कर विधेयक पारित कर देते हैं और सारी बातें राज्य सरकारों पर छोड़ देते हैं ।

Sermons will not help in this matter.

हमारी राय है कि इस तरह से आपका संकल्प पूरा नहीं हो सकता है ।

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : नोटिफिकेशन तो हम करेंगे ।

डा. बापू कालदाते : मैं पूछना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन पर अमल कौन करेगा? क्या राज्य सरकार अमल करेगी ? आप क्या करेंगे . . . **(व्यवधान)** । राज्य सरकारें कहां अमल करती हैं ?

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : ऐसा नहीं है ।

डा. बापू कालदाते : ऐसा हो गया है । साढ़े तीन सौ जिलों में कहां अमल हुआ है । इसलिए मैं आपसे दर्खास्त करूंगा कि इस सारे विधेयक में जो सबसे बड़ी कमी है, इसको आपको पूरा करना है । इसको पूरा करने, इसकी कमी को दूर करने का आप आश्वासन दीजिये । दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारें इस पर अमल करेंगी । जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति जी इस को अपनी कांसेन्ट दे देंगे । तो हमको यह आश्वासन आप दीजिये कि यह कानून पारित होने के बाद यह सारे राज्यों में एक साल के अंदर लागू किया जायेगा । इसके बारे में आपको आश्वासन देना होगा और उनका निरीक्षण करना होगा, उनका पुनर्विलोकन करना होगा । इसके बारे में एक मशीनरी बनाने का भी आपको प्रयास करना चाहिए । इन शब्दों के साथ सिद्धान्ततः इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं ।

श्रीमती सुधा विजय जोशी (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं आपका अभिनंदन करती हूं और आपको शुभकामनायें देती हूं ।

एक माननीय सदस्य : मराठी में बोलिये । . . . **(व्यवधान)**

श्रीमती सुधा विजय जोशी :*

उपसभापति : Thank you very much.

श्रीमती सुधा विजय जोशी : महोदय, किशोर न्याय विधेयक, 1986 के समर्थन में मैं अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत कर रही हूं । पिछले सात-आठ दिनों में किसी सामाजिक विधेयक पर बोलने का एक और मौका इस विधेयक के द्वारा मुझे मिल रहा है । एजेंडा से पता चलता है कि दूध पीते नन्हें बच्चे जो हैं, उनके कल्याण के बारे में एक और विधेयक सदन के सामने चर्चा के लिए आ रहा है । इस प्रकार दस दिनों में सरकार ने नन्हें बच्चे, छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर बिल किशोर और महिलाओं के लिए चार महत्वपूर्ण विधेयक लाये हैं । इन सब

*Hindi translation of the original speech delivered in Marathi.

[श्रीमती सुधा विजय जोशी]

का उद्देश्य एक ही है कि सबसे जरूरतमंद जो हैं उनकी सुरक्षितता और उनको सम्मान प्रदान करना । हमारी सरकार और हमारा पक्ष समझता है कि यह हमारी जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी की भावना हमें अपने इर्दगिर्द खुली आंखों से देखना सिखाती है । कहीं अन्याय होता हो या कुछ कमियां रहें तो उनको हम तुरन्त महसूस करते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश हमारी सरकार करती है पिछड़े हुए लोगों को संरक्षण देने के लिए उचित कदम उठाती है । उनको अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका देने का हमारी सरकार का कमिटमेंट है । अच्छा जीवन सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऐसे समाज में वह जीवन बिताये जहां आदमी सिर्फ खुदगर्ज न हो, देश में हर व्यक्ति एक दूसरे की परवाह करता हो और एक दूसरे की सहायता करता हो । इस प्रकार की जागरूक भावना ही समतावादी समाज का निर्माण कर सकती है और हमारी समृद्ध परम्परा और संस्कृति को जिंदा रख सकती है । लेकिन समाज में जो बुरे तत्व हैं वे बच्चों तक को अपनी चपेट में लेते हैं और उन्हें अपराध की दुनियां में ले जाते हैं । यह निर्विवाद सत्य है कि बच्चे मासूम होते हैं लेकिन कई बार ये मासूम कलियां कांटे बन जाती हैं । असुरक्षा, असन्तोष, अविवेक उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं । किशोर न्याय विधेयक 1986 भटके हुए, अपराधी, कुलक्षित बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिये जो विभिन्न संस्थायें स्थापित की गई हैं उनको कार्यपद्धति में गुणात्मक परिवर्तन और समानता लाने हेतु लाया गया है । इसके साथ-साथ पूरे देश भर में समान किशोर न्याय पद्धति भी इस विधेयक द्वारा आयेगी । इस बिल द्वारा ऐसे किशोरों की देखभाल, सुरक्षा, इलाज, उन्नति और पुनर्वास के लिए कल्याणकारी संस्थाओं की भूमिका को मान्यता दी गयी है । महोदया, यही उद्देश्य इस विधेयक को दिशा दिखा रहे हैं । इस विधेयक में सर्वसमावेशक दृष्टिकोण, कम्प्रेहेंसिव और इंटेग्रेटेड एप्रोच बच्चों की इन समस्याओं के बारे में लिया गया है । इससे जुवेनाईल कौन हैं, वह ठीक से पहचाना जा सकता है । उनकी आवश्यकताएं क्या हैं उसका पता लगाने में और उन आवश्यकताओं को पूरा करने में भी बड़ी मदद होगी । चेप्टर-2 में अपचारी किशोरों को सुविधा प्रदान करने के बारे में जिक्र किया गया है । सेक्शन 10 (3) में ऐसे बच्चों के बारे में क्या जिम्मेदारियां हैं न केवल भौतिक जिम्मेदारियां लेकिन उसके लिए अपने चरित्र और योग्यताओं के विकास की सुविधाओं की व्यवस्था करना और उसके सुधार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना उसके सर्वतोमुखी व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करना, इसका भी विचार किया गया है । चेप्टर-3 के सब सेक्शन 14 (1) में जो प्रावधान है उसके अनुसार उपेक्षित किशोरों के माता-पिता होने के बावजूद भी प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन किशोरों को भार-साधन में लेने के बजाय बोर्ड किशोरों के बारे में जांच आरम्भ करने के लिए रिपोर्ट दे सकता है । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है । लेकिन इसको और अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है । इस विषय में और स्पष्ट गाइडलाइंस की जरूरत है । ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां खुद माता पिता अपने बच्चों को खतरनाक काम करने पर मजबूर करते हैं । शिवकासी की दियासलाई बनाने की फेक्टरीज तथा मुरादाबाद की कारपेट बनाने की फेक्टरीज इन के उदाहरण हैं जहां पर दयनीय हालत में बच्चे काम करते हैं । क्या ऐसे बच्चों को उपेक्षित किशोर मान कर इस एक्ट के अन्तर्गत संरक्षण दिया जा सकता है । महोदया, मेरा कहने का मतलब है कि उपेक्षित किशोरों की व्याख्या बिलकुल सुस्पष्ट प्रिसाइज होनी चाहिये । इस क्लाज को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की एम्बिगुयटी बीच में न आए। महोदया, किशोर न्यायालय और उन्हें मदद करने के लिए पेनल्ज का जो प्रबन्ध किया गया है उसकी मुझे खास तौर से खुशी है । सेक्शन 5 (3) में कहा गया है कि ऐसे पेनल्ज में दो व्यक्ति होंगे और उन में से एक महिला होगी । ऐसे नाजुक और महत्वपूर्ण काम में महिला ही कामयाब भूमिका निभा सकती है । क्योंकि स्त्री मां है और अपने दिल में मां की ममता ले कर वह इन किशोरों की दर्द को समझने की कोशिश कर सकती है। सेक्शन 6 (3) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य या किशोर न्यायालय

के मेजीस्ट्रेट के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह राज्य सरकार की राय में बाल मनोविज्ञान और बाल-कल्याण का विशेष ज्ञान नहीं रखता है। यह भी मैं माननीया मन्त्री महोदया से प्रार्थना करूंगी कि कौन सा व्यक्ति मेजीस्ट्रेट नियुक्त किये जाने के योग्य है ? पर्याप्त योग्यता का मानदण्ड क्या है इसकी गाइडलाइन और भी सुस्पष्ट होनी चाहिये। महोदया, सेक्शन 6 (1) में जिला मेजीस्ट्रेट बोर्ड या किशोर न्यायालय के रूप में काम कर रहा है इस प्रकार का विवेचन है। लेकिन यह कैसे संम्भव है जबकि सेक्शन 6 (3) के अनुसार उसको बाल मनोविज्ञान और बाल कल्याण इत्यादि का खास ज्ञान होना आवश्यक है। जिला मेजीस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव हैड है और उसे दिये हुए अधिकार एक्स-आफिशियो हैं क्या उसको किशोर न्यायालय जैसे खास क्षेत्र में इस प्रकार का एक्स-आफिशियों अधिकार देना उचित है ? सब सेक्शन 7 (2) में भी इस प्रकार का ट्रांजिटरी प्रावधान है लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसी व्यवस्था करने के बजाय योग्य किशोर कोर्ट स्थापित करने पर ही जोर देना जरूरी है। हर क्षेत्र में इस प्रकार के कोर्ट्स स्थापित करने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए एक कालबद्ध योजना बनाने की जरूरत है।

मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगी कि क्या इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? आप इस मामले पर थोड़ा प्रकाश डालेंगी।

महोदया, चैप्टर 5 में बोर्ड या किशोर न्यायालय में केसेज चलाने के बारे में बड़े विस्तृत आदेश दिये गये हैं, खास करके इसकी प्रोसिडिंग्ज गुप्त रहे, किशोर का नाम वगैरह गुप्त रहे, इस पर जोर दिया गया है और जो ऐसी गुप्तता को भंग करेगा, यानी कि सब-सैक्शन 36(1) को भंग करेगा उसे एक हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है। यह स्वागत योग्य है।

चैप्टर 6 में जो किशोर के बारे में जो अपराध किये जा सकते हैं, उनका जिक्र किया है। इस चैप्टर की पांच सैक्शंस हैं और उसमें अलग-अलग अपराधों का विवेचन किया गया है और उनके लिए अलग-अलग सजाओं का प्रबंध किया गया है। तीन साल तक की सजा और जुर्माना इसके अन्तर्गत हो सकता है। इस प्रकार इस कानून को जरा कड़ा बनाया गया है। सजा बढ़ाने से यह कानून थोड़ा कड़ा हो गया है और किशोरों के बारे में जो भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं, उनके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है।

यह जो किशोरों को भीख मांगने के लिए बिठाते हैं, यह बहुत बड़ा अपराध है, यह इसमें माना गया है। इसके लिए तीन साल तक के लिए सजा हो सकती है। मुझे तो लगता है कि इस तरह के अपराधी को और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पैसे के लालच में आकर कुछ शैतान बच्चों के हाथ-पांव काट देते हैं, तोड़ देते हैं, आखें निकाल देते हैं और उनको भीख मांगने के लिए बिठाते हैं। अर्थात्, ऐसी हरकतों के लिए दूसरे एक्ट्स में बहुत भारी सजा दी गई है, लेकिन इस एक्ट के अन्तर्गत भी जरा कड़ी सजा होनी चाहिए।

वैसे देखा जाए, तो यह विधेयक बड़ा विस्तृत और सुगठित है और जुवेनाईल के जीवन को सुधारने में अच्छी सहायता देगा, लेकिन इन बदनसीब किशोरों का नसीब पलटने के लिए समाज, सामाजिक संस्थाओं और हरेक जिम्मेदार नागरिक को सरकार के साथ हाथ बंटाना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के जो सोशल लेजिस्लेशंस होते हैं, वह कामयाब हो सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

PAPERS LAID ON THE TABLE—
Contd.

Corrigenda to the Accounts (1984-85) of the Central Silk Board and the Statement giving reasons for the delay in laying thereof

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Krishna Kumar could not lay the papers on the Table of the House this morning. He is here. If the House agrees, we may permit him to lay the papers. Shri Krishna Kumar.